

विनियमित क्षेत्र, बहराइच की सीमा के अन्तर्गत भवन निर्माण/विकास के लिए।

पत्र संख्या-262/नि0प्रा0/वि0क्षे0 बहराइच/मा0सं0- /2020-21

दिनांक-12-2020

सेवा में,

श्री अनुज कुमार पुत्र स्व0 श्री कैलाश नाथ एवं
श्री उत्सव मातनहेलिया पुत्र स्व0 श्री आशीष कुमार
एवं श्रीमती सारिका देवी पत्नी स्व0 श्री आशीष कुमार
मोहल्ला- डिगिहा, स्टेशन रोड, बहराइच।

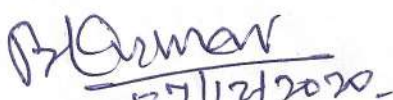
शासनादेश संख्या 313/1-11-2015-राजस्व-11
दि0 02-07-2015 एवं शासनादेश संख्या 772/8-आ-1-
कम्परोधी / 2001 (आ0 व0) दिनांक 13-07-2001 के
तर्गत भवन का पूर्णतया भूकम्परोधी मानकों के अनुसार निर्मित
करना अनिवार्य होगा तथा इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व व्यक्तिगत
रूप से आवेदक/आवेदिका का होगा।

महोदय,

खसरा संख्या.....X.....गाटा संख्या 1174/1, 1175/1 मि0 एवं 1175/5 मि0 कालोनी/गली.....X.....
.....मोहल्ला डिगिहा, स्टेशन रोड, नगर बहराइच में भवन संख्या.....X.....का निर्माण/पुनर्निर्माण
करने/गिराने/परिवर्तन करने अथवा सारवान बदलाव करने के लिए परमिट प्रदान करने हेतु आपके आवेदन पत्र संख्या
255/2020-21 दिनांक 12-11-2020 के सन्दर्भ में आपको संसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित शर्तों के अधीन आप
द्वारा प्रस्तुत मानचित्र पर अनुमोदन प्रदान किया गया है:-

01. निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप ही कराना होगा।
02. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रपत्र ज पर कार्यालय को सूचना देनी होगी।
03. निर्माण कार्य पूर्ण होने पर नियत प्राधिकारी को इसकी सूचना निर्धारित प्रारूप पर देकर पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात ही भवन का उपयोग किया जायेगा।
04. मानचित्र में कटे हुए भाग पर प्रस्तावित निर्माण को अनुमन्य नहीं किया गया है एवं इसका निर्माण कतई नहीं किया जायेगा।
05. इस स्वीकृति की वैधता अवधि पाँच वर्ष है। यदि निर्माण इस अवधि में पूरा न हो सके तो इस स्वीकृति का नियमानुसार नवीनीकरण कराने के उपरान्त ही निर्माण किया जायेगा। नवीनीकरण हेतु वैधता अवधि समाप्त होने के दो माह पूर्व प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
06. सम्बन्धित अधिकारी के निरीक्षण के समय स्वीकृत मानचित्र निर्माण स्थल पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
07. भवन का उपयोग केवल उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा, जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृति प्राप्त की गयी है। स्वीकृत उपयोग से भिन्न किसी अन्य उपयोग में प्रश्नगत भवन नहीं लाया जा सकेगा।
08. सार्वजनिक/नजूल भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण/अतिक्रमण नहीं किया जायेगा।
09. भवन स्वामी को रिक्त स्थान एवं सैट बैंक में न्यूनतम 30 वृक्ष लगाना अनिवार्य होगा।
10. किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति अधिनियम की धारा 7 (ए) के प्राविधानों के अन्तर्गत निरस्त कर दी जायेगी।
11. आवेदक को नियमानुसार भूकम्प रोधी निर्माण किसी अर्हता प्राप्त इंजीनियर की देखरेख में कराना होगा एवं इसका उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।
12. रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था आवेदक को नियमानुसार स्वयं के व्यय पर करना होगा।
13. अन्य विभागों से प्राप्त अनापत्तियों जिसकी छायाप्रति संलग्न की जा रही है, में निहित प्रतिबन्धों/शर्तों का अक्षरशः पालन करना अनिवार्य होगा।
14. प्रश्नगत स्वीकृति का अन्यथा प्रभाव किसी अन्य अधिनियम पर नहीं होगा।
15. प्रश्नगत मानचित्र आवेदक/आवेदिका द्वारा उपलब्ध कराये गये स्वामित्व अभिलेखों के आधार पर स्वीकृत किया जा रहा है। इस स्वीकृति से स्वामित्व का निर्धारण मान्य नहीं होगा। यदि स्वामित्व सम्बन्धी कोई विवाद उत्पन्न होता है तो यह मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा। स्वामित्व विवाद का निस्तारण सक्षम न्यायालय से पक्षों को कराना होगा। यह प्राधिकारी स्वामित्व के लिए किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।
16. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से 30 दिन पूर्व लिखित रूप से श्रम प्रवर्तन अधिकारी, बहराइच को सूचित करना अनिवार्य होगा। गणना प्रपत्र की छाया प्रति संलग्न है।
17. सड़क के मध्य से 12 मीटर अथवा 40 फिट की दूरी एवं 54.22 मीटर फुन्ट सेट बैंक एवं रिक्त भूमि कुल 66.22 मीटर छोड़कर भवन का निर्माण कार्य किया जायेगा।
18. प्रस्तावित भवन मानचित्र के अनुसार बेस्मेन्ट/लोवर ग्राउण्ड फ्लोर (पार्किंग) पर 1390.00 वर्ग मीटर स्टिल्ट फ्लोर (पार्किंग) 1213.00 वर्ग मीटर एवं प्रथम तल से आठवी तलो तक कुल 8759.00 वर्ग मीटर आच्छादित (कवर्ड) करने की अनुमति प्रदान किया गया है, जो लेबर-सेस गणना प्रपत्र में अंकित कवर्ड एरिया के अनुसार है।
19. प्रस्तावित भवन को ग्रुप हाउसिंग उपयोग में लिया जायेगा।
20. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, लखनऊ-226010 द्वारा प्रदत्त अनापत्ति पत्रांक-45/व0नि(4)/बहराइच अनापति/2020-21 दिनांक 03-12-2020 एवं मुख्य अग्निशमन अधिकारी, गोण्डा द्वारा प्रदत्त अनापत्ति पत्रांक-एन0ओ0सी0/एफ एस/2020-(वी0एच0-337) दिनांक 18-11-2020 की छाया प्रतिया पूर्णतया अनुपालन हेतु संलग्न है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।


अवर अभियन्ता, (राजपत्रित)
विनियमित क्षेत्र, बहराइच।

नियत प्राधिकारी/नगर मजिस्ट्रेट
विनियमित क्षेत्र, बहराइच।
